

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या 49/2024 सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली बनाम दिनेश कुमार

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

गुण्डा एक्टर प्रकरण संख्या : 49/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/55

सायल :		गैरसायल
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली	बनाम	दिनेश कुमार पुत्र श्री सायरमल जाति हरिजन उम्र 45 साल निवासी पुराडा रोड संजयनगर सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली राज.

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 उपस्थिति :- अधिवक्ता गैरसायल व गैरसायल स्वयं

:-निर्णय:-

दिनांक: 06.05.2024

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 12.09.2023 को गैर सायल दिनेश कुमार पुत्र श्री सायरमल जाति हरिजन उम्र 45 वर्ष निवासी पुराडा रोड संजयनगर सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल पुलिस थाना सुमेरपुर का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ वर्ष 2012 से 2022 तक कुल 06 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। सभी प्रकरणों में गैर सायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	मु.न. दिनांक	धारा	नाम थाना	चालान न. दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	443/12.12.2012	13 आरपीजीओ अधि.	सुमेरपुर	321/17.12.2012	दिनांक 18.12.2012 को जे. एम.कोर्ट सुमेरपुर द्वारा 100/- अर्थदण्ड से दण्डित
2	84/25.02.2016	13 आरपीजीओ अधि.	सुमेरपुर	24/28.02.2016	दिनांक 04.03.2016 को ए. सी.जे.एम.कोर्ट सुमेरपुर द्वारा 100/- अर्थदण्ड से दण्डित
3	33/17.01.2017	13 आरपीजीओ अधि.	सुमेरपुर	09/31.01.2017	दिनांक 25.02.2017 को ए. सी.जे.एम.कोर्ट सुमेरपुर द्वारा 100/- अर्थदण्ड से दण्डित
4	285/09.07.2017	13 आरपीजीओ अधि.	सुमेरपुर	175/29.07.2017	दिनांक 11.02.2019 को ए. सी.जे.एम.कोर्ट सुमेरपुर द्वारा 100/- अर्थदण्ड से दण्डित
5	34/11.01.2022	13 आरपीजीओ अधि.	सुमेरपुर	02/13.01.2022	दिनांक 17.02.2022 को ए. सी.जे.एम.कोर्ट सुमेरपुर द्वारा 200/- अर्थदण्ड से दण्डित
6	521/15.09.2022	13 आरपीजीओ अधि.	सुमेरपुर	219/17.09.2022	दिनांक 03.11.2017 को ए. सी.जे.एम.कोर्ट सुमेरपुर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

					द्वारा 200/-- अर्थदण्ड से दण्डित
--	--	--	--	--	----------------------------------

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखुबी साबित है कि गैर सायल दिनेश कुमार पुत्र श्री सायरमल जाति हरिजन उम्र 45 वर्ष निवासी पुराडा रोड संजयनगर सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली राज. आदतन व आलादर्ज का जुआरी व सक्रिय बदमाश है जो बावजुद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृत्ति में लिप्त है, जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पड़ता है व पुलिस की छवि पर भी लोगों का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावें।

सायल की ओर से पेश प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना राजस्व (गुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज./2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के पत्रांक/कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद गैर सायल से तामील करवाई गई।

गैर सायल ने वक्त बहस कथन किया कि उसके विरुद्ध पुलिस थाना सुमेरपुर द्वारा लोकसभा चुनावों के मध्यनजर रखते हुए उक्त कार्यवाही की गई थी परन्तु लोकसभा चुनाव विधिवत पूर्ण हो गये हैं तथा अब वह एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपना परिवार चला रहा है। वह अब जुआ खेलने या अन्य लोगो को जुआ खेलने हेतु प्रेरित करने में लिप्त नहीं है, व प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में की गई कार्यवाही की भी सजा आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड नहीं है। प्रार्थी द्वारा किये गये अपराध लघु श्रेणी के अपराध है व उक्त अपराधो की गैरसायल भविष्य में पुनरावर्ति नहीं करेगा व प्रार्थी शांतिमय जीवन यापन करने की मंशा रखता है। अतः उसके विरुद्ध पेश इस्तगारा खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक पाली की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सुमेरपुर में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत 12.02.2012 से 15.09.2022 तक कुल 06 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। जिनकी प्रतिया पत्रावली पर उपलब्ध हैं। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5) में वर्णित अपराध करने का दोषी पाया गया है परन्तु गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 15.09.2022 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, एव न ही ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है।

पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि गैरसायल से आमजन में कोई भय व्याप्त है। गैरसायल के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने, बलवा करने, आम जन को धमकी देने, महिलाओं व लड़कियों से छेड़छाड़ या अशिष्ट टिप्पणी करने, हिरात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा विधिपालक लोगो को अभिजासित करने, आम जन की सम्पत्ति को रांत्रास, खतरा या नुकसान करने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाना व निष्कासित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में पुलिस अधीक्षक पाली द्वारा प्रस्तुत इस्तगारा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नहीं होने से खारिज किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है।

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या 49/2024 सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली बनाम दिनेश कुमार

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



*(Handwritten signature)*  
6/5/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

R.A.S

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
वाली